

कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुन्द (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 667 / क / वि-स्था. / 2014

महासमुन्द, दिनांक 14 जुलाई, 2014

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-01/2013/1-6 दिनांक 05 जून, 2014 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2014-15 के अनुसार माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से "कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग महासमुन्द" के अधीन निम्नांकित कर्मचारियों को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम-4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	प्रस्तावित पदस्थापना (स्थान)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रेमसिंह ठाकुर / भृत्य / रसोईया	अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सरायपाली	अनुसूचित जाति आश्रम शाला टेंमरी	-
2	श्री राजाराम कन्नौजे भृत्य / रसोईया	आदिवासी कन्या आश्रम शाला सरायपाली	आदिवासी बालक आश्रम शाला परसदा	-
3	श्री जगदीश गढ़तीया भृत्य / रसोईया	आदिवासी बालक आश्रम शाला परसदा	आदिवासी कन्या आश्रम शाला सरायपाली	-
4	श्री जगदीश साहू भृत्य / रसोईया	प्री मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास रुढ़ा	आदिवासी बालक आश्रम शाला उडेला	-
5	श्रीमती सिलवंती एक्का / अधीक्षिका	आदिवासी कन्या आश्रम बसना	आदिवासी कन्या आश्रम पिरदा, पिथौरा	-
6	श्रीमती मंदाकिनी पण्डा / अधीक्षिका	आदिवासी कन्या आश्रम पिरदा, पिथौरा	आदिवासी कन्या आश्रम बसना	-
7	श्रीमती अहिल्या जाटवर, भृत्य / रसोईया	आदिवासी कन्या आश्रम शाला, बैदपाली	प्री-मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बिछिया	-
8	श्रीमती सुदामा साहू भृत्य / रसोईया	प्री-मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, सरायपाली	आदिवासी कन्या आश्रम शाला, बैदपाली	-
9	श्री सुकदेव साहू भृत्य / रसोईया	प्री-मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, सरायपाली	प्री-मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बी.के. बाहरा बागबाहरा	-


2/ स्थानांतरित कर्मचारी को उनकी नवीन पदस्थापना पर अधिकतम 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें स्वमेव भारमुक्त माना जाएगा एवं उनका वेतन वर्तमान पदस्थापना स्थान से आहरित नहीं किया जाएगा तथा कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर
महासमुन्द

पृ.क्रमांक/667 /क/वि-स्था./2014
प्रतिलिपि :-

महासमुंद, दिनांक 14 जुलाई, 2014

- 1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रभारी मंत्री जी जिला महासमुंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2/ सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4/ आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5/ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, महासमुंद को आवश्यक कार्यवाही हेतु। उपरोक्तानुसार स्थानांतरित कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल भारमुक्त करें।
- 6/ जिला कोषालय अधिकारी महासमुंद/उपकोषालय अधिकारी बागबाहरा/पिथौरा सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7/ जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC), महासमुंद। जिला कार्यालय की वेबसाईट में सूची अपलोड करें।
- 8/ प्रधान पाठक/अधीक्षक/अधीक्षिका,..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9/ संबंधित कर्मचारी (नाम से) को पालनार्थ।


कलेक्टर,
महासमुंद